

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आर.ए.एस.

करण सं० : 488/2013

निवातन :

1. गणपतराम पुत्र जयराम जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा (डिलीट)
- 1/1. हर्ष पुत्र बेगराज नाबालिग जरिये माता नवीन पत्नी बेगराज जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
- 1/2. निलेश पुत्र दलीप नाबालिग जरिये माता अनीता पत्नी दलीप जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. मालीदेवी पत्नी विजय कुमार जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा (डिलीट)
- 1/1. प्रमोद कुमार पुत्र मूंगाराम जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
2. सवित्री पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा।
3. श्यामलाल पुत्र केशुराम जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
4. श्योदत पुत्र गणपत जाति जाट निवासी डाबड़ी (मृतक)
- 4/1. गोपीराम पुत्र श्योदत जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
5. विजय कुमार पुत्र गोवर्धनदास जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा (डिलीट)
6. त्रिलोकचंद पुत्र गोवर्धनदास जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा (डिलीट)
7. महावीर प्रसाद पुत्र गोवर्धनदास जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा (डिलीट)
8. विनोद कुमार पुत्र गोवर्धनदास जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा (डिलीट)
9. पवन कुमार पुत्र गोवर्धनदास जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा (डिलीट)
10. अशोक कुमार पुत्र गोवर्धनदास जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा (डिलीट)
11. बृजलाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।
12. मुकेश कुमार पुत्र मंगतुराम जाति खाती निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विरेन्द्र झोरड़ तथा वकील प्रतिवादीगण श्री रतन धारीवाल व सुश्री रीटा चौधरी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादभूमि रोही मौजा डाबड़ी के खाता संख्या 221/202 के खसरा नं० 23 की 6.376 है०, खसरा नं० 78 की 4.832 है० कुल खसरा 2 की कुल 11.208 है० वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि में वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भूअ./24 दिनांक 23.02.2024 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा डाबड़ी का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

विभाजन : रोही मौजा डाबड़ी

गोपीराम पुत्र श्योदत जाति महाजन साकिन देह खातेदार राहिन हिस्सा एसबीआई डाबड़ी :- रोही मौजा डाबड़ी ख०न० 23 की 2.2416 कुल रकबा 2.2416 है० बारानी।
निलेश पुत्र दलिप सिंह जाति जाट साकिन देह खातेदार, हर्ष पुत्र बेगराज जाति जाट साकिन देह खातेदार बहिस्सा बराबर हिस्सा :- रोही मौजा डाबड़ी ख०न० 23 की 2.2416 कुल रकबा 2.2416 है० बारानी।

सावत्री पत्नी काशीराम जाति जाट साकिन लाखनवास खातेदार राहिन सम्पूर्ण आरएमजीबी जोगीवाला :- रोही मौजा डाबड़ी ख0न0 23 की 1.8928, खसरा संख्या 78 की 0.3488 है0

कुल रकबा 2.2416 है0 बारानी।

मोद कुमार पुत्र मूंगाराम जाति महाजन साकिन देह खातेदार हिस्सा :- रोही मौजा डाबड़ी खसरा संख्या 78 की 0.8054 है0, बारानी।

भुजलाल पुत्र जगदीश जाति जाट साकिन पटवा खातेदार :- रोही मौजा डाबड़ी खसरा संख्या 78 की 3.2646 है0, बारानी।

मुकेश कुमार पुत्र मंगतुराम जाति खाती साकिन देह खातेदार :- रोही मौजा डाबड़ी खसरा संख्या 78 की 0.253 है0, बारानी।

श्यामलाल पुत्र केशुराम जाति महाजन साकिन देह खातेदार :- रोही मौजा डाबड़ी खसरा संख्या 78 की 0.160 है0, बारानी।


कुल रकबा 4.483 है0 बारानी

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.10.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ



न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आर.ए.एस.

करण सं० : 488/2013

नवान :

1. गणपतराम पुत्र जयराम जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।(डिलीट)
- 1/1. हर्ष पुत्र बेगराज नाबालिग जरिये माता नवीन पत्नी बेगराज जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
- 1/2. निलेश पुत्र दलीप नाबालिग जरिये माता अनीता पत्नी दलीप जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

- 1.मालीदेवी पत्नी विजय कुमार जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।(डिलीट)
- 1/1. प्रमोद कुमार पुत्र मूंगाराम जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
2. सवित्री पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा।
3. श्यामलाल पुत्र केशुराम जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
4. श्योदत पुत्र गणपत जाति जाट निवासी डाबड़ी (मृतक)
- 4/1. गोपीराम पुत्र श्योदत जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
5. विजय कुमार पुत्र गोवर्धनदास जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।(डिलीट)
6. त्रिलोकचंद पुत्र गोवर्धनदास जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।(डिलीट)
7. महावीर प्रसाद पुत्र गोवर्धनदास जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।(डिलीट)
8. विनोद कुमार पुत्र गोवर्धनदास जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।(डिलीट)
9. पवन कुमार पुत्र गोवर्धनदास जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।(डिलीट)
10. अशोक कुमार पुत्र गोवर्धनदास जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।(डिलीट)
11. वृजलाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।
12. मुकेश कुमार पुत्र मंगतुराम जाति खाती निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र झोरड़ : वादीगण

वकील सुश्री रीटा चौधरी : प्रतिवादी सं० 1, 4/1, 11, 12

वकील श्री रतन धारीवाल : प्रतिवादी सं० 2

निर्णय

दिनांक: 13.10.2024

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता संख्या 221/202 के खसरा न० 23 की 6.376 है, खसरा न० 78 की 4.832 है कुल खसरा 2 की कुल 11.208 है वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादभूमि की किस्म, कास्त, बंटाई एवं रास्ता आदि को लेकर पक्षकारान में विवाद बना रहता है। इसलिए वादी वादभूमि का कब्जा कास्त के अनुसार जोत विभाजन करवाकर वादी अपने हिस्से की भूमि अलग से टक कायम करवाकर उस पर अपना पृथक से कब्जा प्राप्त कर उसका अपने नाम अलग से खाता कायम करवाने का एवं वादी के विभाजित हिस्सा तक आवगमन के लिए रास्ते का अंकन करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 1, 2, 4/1, 11, 12 जरिये वकील हाजिर आए। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण ने अच्छी मंदा के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार करवाने पर अपनी सहमति दर्ज की।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुताबिक वाहमी बंटवारा के उनके दी गई भूमि पर कानून लागू करते आ रहे हैं। उसी अनुसार अच्छी मंती के हिसाब से खाता लगान अलग अलग प्रणाली में प्रयोजित किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रत्येक पत्र पर विचार किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा डाबड़ी के खाता संख्या 21/202 के खसरा न0 23 की 6.376 है0, खसरा न0 78 की 4.832 है0 कुल खसरा 2 की कुल 11.208 है0 वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि में वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का अच्छी मंती के हिसाब से खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा के क्रम नं0 भू.अ./24 दिनांक 23.02.2024 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा डाबड़ी का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

विभाजन : रोही मौजा डाबड़ी

श्री श्री राम पुत्र श्योदत जाति महाजन साकिन देह खातेदार राहिन हिस्सा एसबीआई डाबड़ी :- रोही मौजा डाबड़ी ख0न0 23 की 2.2416 कुल रकबा 2.2416 है0 बरानी।

श्री श्री नरेश पुत्र दिलिप सिंह जाति जाट साकिन देह खातेदार, हर्ष पुत्र बेगराज जाति जाट साकिन देह खातेदार बहिस्सा बराबर हिस्सा :- रोही मौजा डाबड़ी ख0न0 23 की 2.2416 कुल रकबा 2.2416 है0 बरानी।

श्री श्री सावत्री पत्नी काशीराम जाति जाट साकिन लाखनवास खातेदार राहिन सम्पूर्ण आरएमजीबी जोगीवाला :- रोही मौजा डाबड़ी ख0न0 23 की 1.8928, खसरा संख्या 78 की 0.3488 है0 कुल रकबा 2.2416 है0 बरानी।

श्री श्री प्रमोद कुमार पुत्र मंगाराम जाति महाजन साकिन देह खातेदार हिस्सा :- रोही मौजा डाबड़ी खसरा संख्या 78 की 0.8054 है0, बरानी।

श्री श्री बृजलाल पुत्र जगदीश जाति जाट साकिन पटवा खातेदार :- रोही मौजा डाबड़ी खसरा संख्या 78 की 3.2646 है0, बरानी।

श्री श्री मुकेश कुमार पुत्र मंगतुराम जाति खाती साकिन देह खातेदार :- रोही मौजा डाबड़ी खसरा संख्या 78 की 0.253 है0, बरानी।


श्री श्री श्यामलाल पुत्र केशुराम जाति महाजन साकिन देह खातेदार :- रोही मौजा डाबड़ी खसरा संख्या 78 की 0.160 है0, बरानी।

कुल रकबा 4.483 है0 बरानी

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ